



नीरज हत्याकांड

संजीव समेत सभी रिहा



धनबाद, 27 अगस्त 2025: झारखण्ड के धनबाद में बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आज विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस सनसनीखेज मामले में झारिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत

सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध को साबित करने में विफल रहा। यह फैसला 21 मार्च 2017 को हुई पूर्व डिप्टी मेरार नीरज सिंह और उनके तीन साथियों—अशोक यादव, घल्ट महतो और मुन्ना तिवारी—की हत्या से जुड़ा

है, जिसमें सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गई थीं। फैसले के दिन धनबाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व थी। कोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, और परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था।

फैसले से पहले कोर्ट के बाहर संजीव सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी, जो उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे। जैसे ही कोर्ट ने संजीव सिंह और अन्य आरोपियों को बरी करने का ऐलान किया, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोर्ट परिसर के बाहर “संजीव सिंह जिंदाबाद” के नारे गूंजने लगे। समर्थकों ने इसे “सत्य की जीत” करार दिया। संजीव सिंह की पल्ली और झारिया की वर्तमान बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने कहा, “हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।

आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है।” नीरज सिंह हत्याकांड कोयलांचल की सियासत और कोयला कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई से जोड़ा जाता रहा है। नीरज सिंह और संजीव सिंह, जो चरों भाई थे, एक ही राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके बीच लंबे समय से तनाव था। इस हत्याकांड ने 2017 में पूरे धनबाद में सनसनी फैला दी थी। संजीव सिंह 2017 से जेल में थे और हाल ही में 8 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। फैसले के बाद संजीव सिंह के समर्थकों ने धनबाद में जश्न मनाया। रागिनी सिंह ने कहा कि संजीव जल्द ही जनता की सेवा में फिर से जुटेंगे। दूसरी ओर, नीरज सिंह के समर्थकों में निराशा देखी गई। इस फैसले ने धनबाद की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।

नीरज सिंह हत्याकांड के किरदार

सरायदेला पुलिस ने लंबे अनुसंधान के बाद कोयलांचल में सनसनी फैलाने वाले इस शूट आउट में भूमिका निभाने वाले हर किरदार एवं उसके द्वारा किए गए कामों के विषय में विस्तार से लिखकर चार्जशीट दायर की थी। तो चलिए जानते हैं इन प्रमुख किरदारों को।



धनंजय सिंह - धनंजय सिंह उर्फ रणधीर धनंजय सिंह उर्फ धनजी

सिंह विधायक का निजी बॉडीगार्ड जो सालों से विधायक के संग रहता था। चार्जशीट के मुताबिक उसने हत्या में दो भूमिका निभाई हैं।

पहली भूमिका विधायक, पंकज, डबलू संजय के साथ मिलकर मेंशन एवं कैमूर में नीरज सिंह की हत्या की योजना बनाई। दूसरे भूमिका हत्या के दिन नीरज की रैकी की और उसकी हर सूचना शूटर तक पहुंचाई।

डबलू मिश्रा:- डबलू मिश्रा उर्फ मृत्युंजय मिश्रा उर्फ मृत्युंजय

गिरी उर्फ राकेश

मिश्रा विधायक का



करीबी। रंजय की हत्या के बाद धनजी ने इसे फोन कर समस्तीपुर से बुलाया। शूटरों को मकान दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

डायरी के पाराग्राफ 369 घटना से एक दिन पूर्व ही 20 मार्च को डबलू समस्तीपुर भाग गया था। डबलू के मोबाइल नंबर 7677302667 एवं उसकी बेटी के पास मौजूद मोबाइल नंबर 7361090110 का

सीडीआर इस बात की पुष्टि करता है। डबलू ने शूटरों को हर वो जरूरी सामान उपलब्ध कराया, जिसकी उन्हें जरूरत पड़ी।

संतोष: संतोष

विधायक का बेहद करीबी।

फर्जी आईडी कार्ड से इसने सिम कार्ड

लिया। उसी सिम से वह शूटरों से बात करता था। शूटरों की बात विधायक



और पंकज तक और विधायक की बात पंकज और शूटरों तक पहुंचाता था। इसने इस मामले में एक काबिल लाइजनर की भूमिका निभाई। पंकज के साथ मिलकर इसने ही हथियार की व्यवस्था की थी।

पंकज सिंह: सुल्तानपुर लम्भुआ निवासी पंकज सिंह विधायक का

बेहद करीबी। मुन्ना बजरंगी ग्रुप का शार्प शूटर। इसने ही हत्या की सुपारी ली थी। रंजय की हत्या के बाद वह धनबाद आया था। संतोष ने उसे बुलाया था। पहले दिल्ली के दो शूटरों मोनू एवं सोनू के साथ सौदा तय किया। नीरज के बाहर चले जाने के कारण काम नहीं बन पाया। फिर वह वापस चला गया। होली के तीन-चार दिन पहले वह मेंशन आया। फिर अपने साथी शूटरों को बुलाया। हत्या को अंजाम देकर आसनसोल के रास्ते फरार हो गया।



पिन्टू सिंह:- पिन्टू सिंह उर्फ जैनेन्द्र सिंह बड़े भाई

राजीव रंजन का मित्र। चार्जशीट के मुताबिक हत्या की योजना की उसे पूरी जानकारी थी। संतोष के मार्फत अपनी बात शूटरों तक पहुंचाता था। हत्या के बाद इसका लोकेशन घटनास्थल के पास था। पुलिस ने दावा किया है कि इसने शूटरों को भगाने में मदद की।



संजय सिंह | विधायक के करीबी रंजय सिंह का

भाई संजय सिंह मेंशन का पुराना सेवादार। पिन्टू, धनजी, डबलू, संजीव के अलावे इसे भी हत्या के योजना की पूरी जानकारी थी। शूटर कब आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, डबलू के साथ मिलकर इसने तय किया था। विधायक ने संजय, संतोष एवं पंकज को हत्या की जिम्मेवारी दी थी।



संजीव सिंह - मेंशन के बंटवारे के विवाद

को लेकर अर्से से नीरज से अदावत थी।

नीरज की बढ़ती लोकप्रियता से भी विधायक संजीव विचिलित हो गए थे।

विधायक के दाहिना हाथ माने जाने वाले रंजय सिंह की हत्या ने विधायक को और विचिलित कर दिया था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। प्रतिशोध में जल रहे संजीव ने अपने करीबियों के साथ मिलकर नीरज के कब्र में कील ठोक दी। मेंशन एवं कैमूर में संजय, डबलू, पंकज, संतोष के साथ बैठकर हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। शूटरों को संतोष के साथ मिलकर पनाह दिलाया और उन्हें बाहर निकलने में मदद की। घटना के बाद विधायक का लोकेशन भी सरायदेला पाया गया।



पुलिस फाइल में संपत्ति विवाद : सिंह मेंशन सूर्यदेव सिंह की संपत्ति है। इसमें तुमलोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हिस्सा मांगना छोड़ दो। यदि भविष्य

में फिर बंटवारा की बात किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। सिंह मेंशन में बंटवारे की बात करने गए नीरज सिंह को विधायक संजीव

ने घटना से पहले धमकी दी थी। विधायक ने नीरज को चांटा भी मारा था। यह बयान पुलिस को नीरज के भाई व कांड के सूचक अभिषेक

सिंह उर्फ गुड़ू सिंह ने दी थी। गुड़ू ने दावा किया है कि संपत्ति विवाद के कारण ही संजीव ने उसके भाई नीरज की हत्या करवाई गई है।



सुप्रीम कोर्ट ने दिया था छह माह में मुकदमे के निष्पादन का आदेश

नीरज सिंह हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 मार्च 25 को एक बड़ा आदेश देते हुए नीरज सिंह हत्याकांड की सुनवाई 6 माह में पूरी करने का आदेश मामले की सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद की अदालत को दिया था। मामले के सूचक अभियेक सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 17990/24 दायर कर गुहार लगाई थी कि इस मामले में बीते 8 वर्षों से फैसला नहीं हो पाया है। बचाव पक्ष लगातार इसे लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है, जिस पर सुनवाई के बाद

सर्वोच्च न्यायालय ने छह माह में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था।

मार्च से अगस्त तक लगातार 95 तारीख

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय के मुताबिक 14 अगस्त में छह माह की अवधि पूरी होने वाली थी। लिहाजा सुनवाई कर रही अदालत ने 22 मार्च 25 से मुकदमे में लगातार सुनवाई शुरू हुई 22 मार्च 25 से लेकर लगातार 13 अगस्त 25 तक सुनवाई के दौरान मुकदमे में कुल 95 तारीख पड़े। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपना साक्ष्य और बहस की।

शहर में रही चाक चौबंद त्यवस्था

प्रमुख चौराहों पर चला चेकिंग अभियान, दो पहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग

कोर्ट परिसर में धारा 144 लागू, इस सख्ती का नहीं दिखा कोई खास असर

धनबाद। धनबाद शहर में इस चर्चित हत्याकांड में फैसले को लेकर जिला पुलिस काफी सजग रही। न सिर्फ कोर्ट परिसर बल्कि शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर चेकिंग अभियान दिन भर चलाया गया। चार पहिया वाहनों की डिकंगी को खोलकर पुलिस वालों ने चेक किया। इसके साथ ही कोर्ट परिसर



में प्रवेश से पूर्व ही सभी की चेकिंग हो रही थी। सतर्कतावश प्रशासन ने कोर्ट परिसर में धारा 144 लागू कर रखा था, हालांकि कोर्ट परिसर में इस सख्ती का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। मंगलवार की रात

से धनबाद शहर के प्रवेश मार्गों में चेकिंग अभियान शुरू कर दी गई थी। मटकुरिया, धनसार, झारिया, कोर्ट मोड़, रणधीर वर्मा चौक आदि स्थानों पर पुलिस वाले तैनात रहे। देर रात तक पुलिस की सख्ती जारी रही।

બીચ સડક પર ગુંજી થી ગોલિયોં કી તડ્ટતડાહટ

શુભમ સંદેશ

ધનબાદ | કોયલા રાજધાની ધનબાદ 21 માર્ચ 2017 કી ઉસ ભયાવહ શામ કો આજ ભી નહીં ભૂલ પાઈ હૈ, જે ઠીક શામ 7 બજે શહેર કી સડકોં પર ગોલિયોં કી તડ્ટતડાહટ ને દહ્શત કા એસા મંજર બના દિયા થા કિ લોગ સહમ ઉઠે થે. અંધાધુંધ ફાયરિંગ મેં નીરજ સિંહ, ઉનુંનું કરીબી અશોક યાદવ, નિઝી અંગરક્ષક મુન્ના તિવારી ઔર ડ્રાઇવર ઘોલ્ટું કી મૌકે પર હી મૌત હો ગઈ થી.

શામ કા સમય થા ઔર અંધેરા હો રહા થા. ઇસી બીચ સરાયદેલા સ્ટીલ ગેટ કે જિગજેગ બ્રેકર કે પાસ નીરજ સિંહ કી કાલી રંગ

શામ કા અંધેરા ફેલને સે પહલે બુઝ ગાએ થે ચાર ઘરોં કે ચિરાગ

કી સ્કાર્પિયો ધીમી હોતી હૈ. ઇસસે પહલે હી સ્કાર્પિયો જિગજેગ કો ક્રાસ કરતી, તથી ઉનુંનું ચાલક કો સામને સે ચલાઈ ગઈ એક ગોલી આકર લગતી હૈ. ઇસકે બાદ ફિર ગોલિયોં કી તડ્ટતડાહટ સે પૂરા ઇલાકા ગુંજ ઉઠતા હૈ. એક એક કર ગોલિયોં કી બૌછાર કર દી જાતી હૈ. સ્કાર્પિયો મેં નીરજ સિંહ આગે મેં ચાલક કે બગલ વાલી સીટ પર બૈઠે હોતે હૈનું, જો ગોલિયોં સે છલની હો જાતે હૈનું ઔર ઉનુંનું ગોલિયાં ખત્મ હોને કે બાદ અપને મૈગજીન ભી બદલે થે ઔર ફિર ફાયરિંગ



હો જાતી હૈ. પુલિસ રિકાર્ડ કે મુતાબિક શૂટરોંને નાનાનું એમએમ પિસ્ટલ સે ગોલિયાં ચલાઈ થી. પુલિસ કે મુતાબિક ચાર શૂટર થે ઔર ઉન્હોને ગોલિયાં ખત્મ હોને કે બાદ અપને મૈગજીન ભી બદલે થે ઔર ફિર ફાયરિંગ

જાતે-જાતે ગર્ડન પર મારી થી ગોલી :

શૂટરોંને પહલે તો વાહન પર તાબડોડ ફાયરિંગ કી થી. ઇસકે બાદ જી ઉન્હેં લગા કિ સથી કો મૌત કે ઘાટ ઉતાર દિયા હૈ. તબ જાકર ઉન્મેં સે એક શૂટર ખુદ નીરજ સિંહ કી સીટ કી તરફ ગયા, વહાં જાકર ઉસને નીરજ સિંહ કો કરીબ સે દેખા ઔર ફિર અપની પિસ્ટલ સે એક ગોલી નીરજ સિંહ કી ગર્ડન પર ભી ચલાઈ થી. શૂટર કા ઝરાડા થા કિ નીરજ સિંહ કે જિંદા બચને કા કરોઈ ચાંસ ન હૈ, ઔર હુાં ભી એસા હૈ. ગોલિયોં સે છલની નીરજ સિંહ કી મૌત હો ગઈ.

કે બાદ બતાયા થા કિ વો ભી બ્રેકર કે પાસ હી ગિર ગઈ થી. ગોલિયાં ચલને કી આવાજ પર ઉસને દેખા થા કિ એક શૂટર દનાદન ફાયર કર રહા થા. એક બાર ઉસને અપની પિસ્ટલ કા મુંહ ઉસ મહિલા કી તરફ ભી કિયા થા, જી મહિલા ડર કે મારે આંખે બંદ કર વહી પર લેટ ગઈ થી. થોડી દેર બાદ જી ગોલિયોં કી આવાજ બંદ હુએ તો ઉસને અપની આંખે ખોલી થી. તબ તક શૂટર વહાં સે ફરાર હો ચુકે થે. તબ મહિલા કી જાન મેં જાન આઈ થી.

